झारखंड की सभी पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों?

21 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने औषधि निदेशालय को राज्य की सभी पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- इन जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पर होने वाले खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। औषधि निदेशालय की ओर से मेडिकल स्टोर्स खोलने के प्रस्ताव पर अभियान निदेशक एनएचएम की सहमति भी ली जाएगी।
- जेनरिक मेडिकल स्टोर्स के खुल जाने से राज्य की प्रत्येक पंचायतों में छोटे-मोटे मर्ज़, बुखार, जुकाम, खाँसी, दस्त आदि की दवाओं के लिये ग्रामीणों को भटकना नहीं होगा।
- पंचायत में खुलने वाले इन जेनरिक स्टोर्स में करीब 100 प्रकार की दवाएँ होंगी। ये दवाएँ मरीज़ों को मुफ्त में मिलेंगी।
- इन स्टोर्स के संचालन के लिये फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। वैसी दवाएँ ही रखी जाएंगी, जो प्रशिक्षण के बाद पंचायत स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी दे पाएंगे। ऐसी दवाओं की सूची औषधि प्रशासन की ओर से तैयार की जा रही है।
- जन औषधि केंद्र के लिये मिलने वाली दवाएँ भी पंचायत स्तर पर खुलने वाले इन मेडिकल स्टोर्स पर मिलेंगी। इसका संचालन पंचायत प्रतिनिधियों के अधीन होगा। इसका निरीक्षण समय-समय पर सिविल सर्जन और ज़िला अधिकारी करेंगे।
- गौरतलब है कि राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 4402 है। इनके अधीन 32,623 गाँव आते हैं। कई बार मलेरिया, डायरिया आदि से पीड़ित मरीज़ों को समय पर दवाएँ नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण मरीज़ों की मौत हो जाती है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव राज्य सरकार मंज़ूर कर लेती है तो ग्राम पंचायत में ही छोटे-मोटे मर्ज़, बुखार, जुकाम, खाँसी, दस्त आदि का समुचित उपचार हो पाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/generic-medical-stores-in-all-panchayats-of-jharkhand